

## न्यायालय जिला कलेक्टर, दौसा

अधिकारी- नरेश कुमार शर्मा  
आई0ए0एस0



अपील सं0 73/2017

1. नौरी लाल पुत्र छाजू
2. रामरुप पुत्र छाजू जाति गुर्जर निवासी खुरीखुर्द तहसील व जिला दौसा ...अपी0

**बनाम**

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील दौसा

...रेस्पो0

अपील विरुद्ध निर्णय दिनांक 02.08.2017  
व न्यायालय नायब तहसीलदार, दौसा

उपस्थित : 1.श्री एम0 एल0 गुर्जर अधिवक्ता अपीलांट  
2.श्री चंद्र शेखर शर्मा राजकीय अधिवक्ता, पैरोकार सरकार


निर्णय

दिनांक 28.02.18

संक्षिप्त विवरण अपील इस प्रकार है कि नायब तहसीलदार, दौसा ने दिनांक 02.08.2017 को ग्राम खुरीखुर्द तहसील दौसा के आ0ख0 न0 717/1497 रकबा 0.04 है0 किस्म चारागाह पर अपीलांट को अतिक्रमण का दोषी मानते हुए बेदखली, पेनल्टी एवं 90 दिवस के सिविल कारावास की सजा का आदेश पारित कर दिया गया। इसी आदेश से असंतुष्ट होकर यह अपील पेश की गई है।

अपील दर्ज रजिस्टर की गयी। रेस्पो0 को तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली मंगवाई गई। बहस सुनी गई।

विद्वान अधिवक्ता अपीलांट पक्ष द्वारा अपील मीमों में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए बहस में दलील है कि पटवारी हल्का द्वारा निहायत झूठी रिपोर्ट की है। अपीलांट को साक्ष्य/सुनवाई का समुचित अवसर दिये बिना एवं बिना मौके की जाँच किये बिना इकतरफा में निर्णय पारित किया है। उक्त चरागाह भूमि के पास आबादी भूमि स्थित है। पटवारी हल्का द्वारा बिना सीमाज्ञान कराये ही रिपोर्ट अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करदी गई। कानूनन अपीलांट को नोटिस जारी दिया जाकर सुनवाई का अवसर दिया जाकर आदेश पारित करना चाहिए किंतु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधि प्रक्रिया का पालना नहीं करते हुए इकतरफा पक्षपातपूर्ण आदेश पारित कर दिया गया। जो नियमों के प्रतिकूल होने से अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय विधि विरुद्ध एवं तथ्यों कि विपरीत है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश निरस्त फरमाया जावे।



राजकीय अधिवक्ता की बहस में दलील है कि प्रश्नगत भूमि की रिपोर्ट धारा 91 पटवारी हल्का द्वारा प्रस्तुत करने पर गिरदावर हल्का से जांच करवाई गई। गिरदावर हल्का की जांच के हस्ताक्षर अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध रिपोर्ट धारा 91 पर मौजूद है। अपीलांत को राजस्थान भू राजस्व अधिनियम-1956 की धारा 91 के तहत नोटिस जारी किया गया। अपीलांत का यह कथन उचित नहीं है कि साक्ष्य/सुनवाई का समुचित अवसर नहीं दिया गया। ऐसी स्थिति में अपीलांत अतिक्रमी की श्रेणी में आता है। अधीनस्थ न्यायालय के आदेश में किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं रह जाती है। अतः अपील अपीलांत खारिज फरमाई जावें।

उभय पक्ष की बहस सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया व बहस पर मनन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से प्रकट होता है कि प्रश्नगत भूमि की रिपोर्ट धारा 91 पटवारी हल्का द्वारा प्रस्तुत की गई। रिपोर्ट धारा 91 की जांच गिरदावर हल्का से करवाई गई। गिरदावर हल्का की जांच के हस्ताक्षर अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध रिपोर्ट धारा 91 पर मौजूद है। अपीलांत द्वारा अपील मीमों में अंकित तथ्यों पर गौर किया गया। अपीलांत द्वारा पटवारी हल्का की झूठी रिपोर्ट का कथन उचित प्रतीत नहीं होता है। अपीलांत को राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम-1956 की धारा 91 के तहत नोटिस जारी किया गया नोटिस बाद तामिल संलग्न पत्रावली है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली की आदेशिका पर अपीलांत के हस्ताक्षर मौजूद है। ऐसी स्थिति में अपीलांत का यह कथन उचित नहीं है कि उनको सुनवाई एवं साक्ष्य का अवसर नहीं दिया गया। पटवारी हल्का की रिपोर्ट में "पाटोल पशु बाड़ा" अंकित कर अतिक्रमण करना बताया है। साथ ही रिपोर्ट की कैफियत में कब्जा पुराना होना बताया है। इससे स्पष्ट है कि अपीलांत द्वारा राजकीय चरागाह भूमि पर अतिक्रमण कर रखा है। साथ ही अपीलांत द्वारा वरवक्त न्यायालय में उपस्थित होकर किसी भी चरागाह एवं सिवायचक भूमि कब्जा नहीं होना एवं सिवायचक/चरागाह भूमि से कब्जा हटा लेने बाबत शपथ-पत्र प्रस्तुत किया है। इसलिए अपीलांत के शपथ-पत्र को ध्यान में रखते हुए अतिक्रमी के प्रति नरमी का रुख अपनाया जाकर सिविल कारावास की सजा पर विचार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांत आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है। अपीलाधीन आदेश में से सिविल कारावास की सजा अतिक्रमण हटा लेने की शर्त पर निरस्त की जाती है। शेष आदेश यथावत रखा जाता है। अपीलांत द्वारा इस न्यायालय में प्रस्तुत शपथ-पत्र में अंकित तथ्यों का भौतिक सत्यापन अधीनस्थ न्यायालय स्वयं करें। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली मय अपीलांत द्वारा प्रस्तुत शपथ-पत्र की छाया प्रति व निर्णय प्रति भिजवाई जावे। बाद पूर्ति पत्रावली प्रविष्ट लेख भण्डार हो।

(नरेश कुमार शर्मा)  
जिला कलेक्टर, दौसा  
जिला कलेक्टर, दौसा

निर्णय आज दिनांक: 28 फरवरी, 2018 को लिखवाया जाकर मेरे हस्ताक्षरित एवं न्यायालय की मुद्रांकित खुले न्यायालय सुनाया गया।

(नरेश कुमार शर्मा)  
जिला कलेक्टर, दौसा  
जिला कलेक्टर, दौसा

